



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office,
Jaipur

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४ / A-218& B-216, "ARANYA
BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8 बी/राज 004/2022-JPR

Dated: 30th August, 2022

सेवामें,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान

(Online Proposal No: FP/RJ/ROAD/29812/2017)

विषय: Diversion of 32.3264 ha Protected/ Reserved Forest land for widening (2 lane) of NH-12, Laxmipura-Dora-Dabi Ranaji ka Gudha Road starts from T-Junction with NH-12 (Kota Bundi Section) at Moheepura & terminates at 3-legged junction near Ranaji ka Gudha in favour of Project Direction (PPP), Public Works Department, Kota, Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक P.1(69)Forest/2021 दिनांक 22.07.2022.
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. State Govt. submitted that the proposed road passes through the forest blocks namely 1. Bharta Baori, 2. Kachhaliya, 3. Dhaneshwar, 4. DasaliyaA, 5. Lambha Kho. Out of five blocks, 4 blocks are falling within buffer of Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (According to the Notification of Tiger Reserve). If these blocks are part of Buffer than Wild Life clearance is required.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि Wildlife clearance ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कराये ताकि अब्बेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।


(अरुण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान
2. उप वन संरक्षक, बुंदी वनमण्डल, राजस्थान
3. परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.), लोक निर्माण विभाग, कोटा, राजस्थान
4. आदेश पत्रावली